III नीतिगत परिवेश

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान अब तक रिज़र्व बैंक की नीति, उच्च घरेलू मुद्रास्फीति के मध्य वृद्धि का समर्थन करते हुए समायोजन को समाप्त करने पर केंद्रित रही। रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता सुविधा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए। रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

1. परिचय

III.1 भारतीय वित्तीय प्रणाली ने मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और प्रभावी निगरानी द्वारा समर्थित समुत्थानशीलता का प्रदर्शन किया है, जो मुख्यतः सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एक समान अवसर बनाने, अभिशासन प्रथाओं में सुधार करने, वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाए एवं वित्तीय क्षेत्र को पूंजीगत और चलनिधि बफर के साथ भली-भांति संरक्षित किया जाए तथा वित्तीय सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग के अंगीकरण को बढ़ाया जाए, पर केंद्रित रही।

III.2 इस पृष्ठभूमि में अध्याय की शुरुआत खंड 2 से होती है, जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थितियों पर असर डालने वाले प्रमुख नीतिगत घटनाक्रमों का वर्णन करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा की गई विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों को खंड 3 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में हरित पहलों से संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई है, जबकि विभिन्न तकनीकी नवोन्मेषों से संबंधित नीतियों को खंड 5 में शामिल किया गया है। खंड 6, 7 और 8 क्रमशः वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नीतियों की समीक्षा करते हैं। भुगतान पारितंत्र के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की पहलें खंड 9 में दी गई हैं। खंड 10 में दिए गए समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय समाप्त होता है।

2. समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण

III.3 भारत में 2022-23 में नीतिगत परिवेश में यूक्रेन में संघर्ष, वैश्विक पण्य कीमतों में परिणामी वृद्धि और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से अविश्वसनीय मुद्रास्फीतिकारक दबाव हावी रहे। तदनुसार, जारी राजकोषीय समेकन तथा खाद्य और ईंधन की कीमतों के आघातों को दूर करने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों के विनियोजन के साथ-साथ, मौद्रिक नीति में सख्ती देखने को मिली। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वर्ष के दौरान नीति रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंकों (बीपीएस) तक बढ़ाते हुए इसे 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया[1]। नीतिगत रुख, महामारी-चरण के 'समायोजनकारी' से 'यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन को वापस लेना कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित रहे' में एक सुविचारित तरीके से परिवर्तित हो गया।

III.4 2022-23 के दौरान, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत (21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी) कर दिया गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली से लगभग ₹87,000 करोड़ की प्राथमिक चलनिधि निकल गई। चलनिधि प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, अप्रैल 2022 में चलनिधि समायोजन सुविधा

[1] एमपीसी ने मई 2022 में सामान्य चक्र से इतर (ऑफ-साइकिल) बैठक में नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि की, इसके बाद जून 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022 में प्रत्येक बार 50 आधार अंकों की वृद्धि की, दिसंबर 2022 में 35 आधार अंकों और फरवरी 2023 में 25 आधार अंकों की वृद्धि की।

(एलएएफ) कॉरिडोर के तल के रूप में, नियत दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) की जगह एक स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) शुरू की गई। एसडीएफ दर, जो गैर-संपार्श्विक एकदिवसीय जमाराशि पर लागू होती है, नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम पर निर्धारित की गई थी, जिसने एलएएफ कॉरिडोर की महामारी-पूर्व समरूपता को बहाल किया। बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को हटाकर, एसडीएफ ने वित्तीय स्थिरता साधन के रूप में कार्य करने के अलावा मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को सुदृढ़ बनाया।

III.5 2022-23 की दूसरी छमाही में, अल्पकालिक चलनिधि दबाव सामने आए, जिसके प्रत्युत्तर में रिज़र्व बैंक ने दो 14-दिवसीय वीआरआर नीलामी के साथ-साथ एक फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की। वर्ष के अंत में चलनिधि की तंगी को कम करने के लिए, स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत 31 मार्च 2023 को एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को प्रचलित रेपो दर पर ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी।

III.6 एमपीसी ने 2023-24 के दौरान (दिसंबर 2023 तक) नीतिगत संचारण में विलंब को ध्यान में रखते हुए, अपनी सभी बैठकों में नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। दिसंबर 2023 की अपनी बैठक में एमपीसी ने पाया कि बार-बार खाद्य कीमतों के आघात अवस्फीति प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और हेडलाइन मुद्रास्फीति अस्थिर बनी हुई है, जिसका प्रत्याशाओं पर संभावित असर पड़ सकता है। स्थिति की आवश्यकतानुसार, एमपीसी ने समयानुसार उचित नीतिगत कार्रवाई करने की तैयारी में रहने का भी संकेत दिया। एमपीसी ने कहा कि वह मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहेगी।

III.7 मई-जून 2023 में ₹2,000 के बैंक नोटों को संचलन से हटाने, उच्च सरकारी व्यय और रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालन के कारण चलनिधि स्थिति सुलभ हो गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चलनिधि की स्थिति मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप हो, रिज़र्व बैंक ने एक अस्थायी उपाय के रूप में 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आई-सीआरआर) लगाया, जो कि 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी था। इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1.1 लाख करोड़ अवरुद्ध हो गए। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 को की गई और इसे चरणबद्ध तरीके से 7 अक्तूबर 2023 को समाप्त कर दिया गया। एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा लिए गए उधार में जुलाई 2023 में औसतन ₹6,702 करोड़ से नवंबर 2023 में ₹1,27,355 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन यह दिसंबर 2023 (19 दिसंबर तक) में घटकर ₹85,697 करोड़ हो गया। साथ ही, एसडीएफ के तहत पर्याप्त धनराशि जमा की गई, जो बैंकिंग प्रणाली में विषम चलनिधि वितरण का सूचक है। भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) जुलाई 2023 में 6.48 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2023 में 6.65 प्रतिशत हो गई। दिसंबर 2023 में (19 दिसंबर तक) यह 6.74 प्रतिशत पर थी।

III.8 बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन को सक्षम करने के लिए, 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ, दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं की वापसी की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इस उपाय की समीक्षा छह महीने या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले की जाएगी।

III.9 रिज़र्व बैंक ने 2022-23 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया, ताकि बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो का बेहतर प्रबंधन कर सकें। बैंकों को इस विस्तारित सीमा के तहत 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2024 के मध्य अधिग्रहित पात्र सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। एचटीएम सीमा को 30 जून 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से वापस 19.5

प्रतिशत करने की तैयारी है। सामान्य चलनिधि परिचालन की दिशा में उठाए गए सुविचारित कदम के तहत, महामारी के दौरान घटाए गए कारोबारी घंटों को दिसंबर 2022 में मुद्रा बाजार के कॉरपोरेट बॉन्ड क्षेत्रों में मांग/ सूचना पर देय/ मीयादी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, रेपो के साथ-साथ रुपए के ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए और फरवरी 2023 में सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए बहाल कर दिया गया।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां

3.1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के संबंध में विनियामक उपाय

III.10 कोविड के बाद, उपभोक्ता ऋण, विशेष रूप से असुरक्षित पोर्टफोलियो में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बैंक उधारी पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बढ़ती निर्भरता से विनियामकीय चिंताएं उत्पन्न हो रही थीं। हालांकि उनकी आस्ति गुणवत्ता ने दबाव के कोई बड़े संकेत नहीं दर्शाए, लेकिन इन दो क्षेत्रों में लगातार उच्च ऋण वृद्धि के कारण विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को विभिन्न उपायों की घोषणा की, जिनमें एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋणों और उपभोक्ता ऋण एवं क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों में वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के एक्सपोजर का जोखिम भार बढ़ाना शामिल है। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरई को सूचित किया गया कि वे उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी एक्सपोजर सीमाओं की समीक्षा करें तथा 29 फरवरी 2024 तक अपने विभिन्न उप-खंडों, विशेष रूप से असुरक्षित उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं निर्धारित करें।

समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ़ के लिए ढांचा

III.11 रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए 8 जून 2023 को समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए एक ढांचा जारी किया, ताकि प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को और अधिक गतिशक्ति प्रदान की जा सके। यह ढांचा कुछ मौजूदा विनियामक प्रावधानों को कठोर बनाता है, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, और यह एनबीएफसी और सहकारी बैंकों सहित सभी आरई पर लागू है। ढांचे के तहत, आरई को एक बोर्ड-अनुमोदित नीति लागू करनी होती है जो पालन की जाने वाली प्रक्रिया को व्यापक रूप से निर्धारित करती है। इसमें निपटान के अनुमोदन की शक्ति एक ऐसे प्राधिकारी को दी गई है जो ऋण मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से पदानुक्रम में कम-से-कम एक स्तर ऊपर हो। धोखाधड़ी करने वाले या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान के लिए, वर्तमान में लागू दंडात्मक उपाय जारी रहेंगे।

परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ

III.12 रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2023 को संशोधित बासेल मानकों के साथ अधिक अभिसरण सुनिश्चित करने हेतु, परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता निर्धारित करने के लिए एक नई पद्धति निर्धारित की। नया मानकीकृत दृष्टिकोण, न्यूनतम परिचालनगत जोखिम पूंजी आवश्यकताओं को मापने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सभी दृष्टिकोणों *यथा* मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)/ वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है। नए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को अपने परिचालनगत जोखिम विनियामक पूंजी गणना में हानि डेटा-आधारित आंतरिक हानि गुणक (आईएलएम) (बड़े बैंकों के लिए) के साथ-साथ वित्तीय विवरण-आधारित कारोबार संकेतक घटक (बीआईसी) पर विचार करना आवश्यक है। कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख अलग से सूचित की जाएगी।

बैंकिंग कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण और धारण या मताधिकारों संबंधी मास्टर निदेश और दिशानिर्देश

III.13 रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयरधारिता और मताधिकारों पर मास्टर निदेश और दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्वामित्व

सारणी III.1: शेयरधारिता की सीमाएं

	शेयरधारक का प्रकार	शेयरधारिता सीमा (बैंकिंग कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत या मताधिकार)
गैर- प्रवर्तक	प्रकृत व्यक्तियों, गैर-वित्तीय संस्थाएं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़ी वित्तीय संस्थाएं, और ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिनमें व्यक्तियों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक स्वामित्व होता है या वे व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं (रिश्तेदारों और सम्मिलित रूप से शामिल व्यक्तियों सहित)	10 प्रतिशत
	अन्य वित्तीय संस्थाएं, अधिराष्ट्रीय (सुप्रानेशनल) संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र/राज्य सरकारें	15 प्रतिशत
प्रवर्तक	बैंकिंग कंपनी का कारोबार शुरू होने के 15 वर्ष पूरे होने के बाद	26 प्रतिशत
	बैंकिंग कंपनी का कारोबार शुरू होने के 15 वर्ष पूरे होने से पहले	लाइसेंसीकरण शर्तों के हिस्से के रूप में उच्चतर प्रतिशत धारित करने या अनुमोदित शेयरधारिता के विलयन की योजना की अनुमति दी जा सकती है।

स्रोत: आरबीआई।

एवं नियंत्रण में भली-भांति विविधता हो, और प्रमुख शेयरधारकों की 'योग्य और उचित (फिट एंड प्रॉपर) की स्थिति में बदलाव के लिए लगातार निगरानी की जाती है। शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा अनुमत शेयरधारिता की सीमाएं अद्यतन की गई हैं (सारणी III.1)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

III.14 रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु 01 नवंबर 2022 को आरआरबी के लिए लागू पात्रता मानदंड को संशोधित किया, ताकि उनके ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान की जा सके। युक्तिसंगत मानदंड, मौजूदा गैर-वित्तीय स्थितियों को बनाए रखते हुए वित्तीय स्थितियों में विभिन्न छूट प्रदान करते हैं (सारणी III.2)।

सारणी III.2: आरआरबी द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

	पूर्ववर्ती वित्तीय मानदंड	संशोधित वित्तीय मानदंड
न्यूनतम सीआरएआर	10 प्रतिशत	न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर (वर्तमान में 9 प्रतिशत)
न्यूनतम निवल मालियत	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तारीख को ₹100 करोड़ या अधिक	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तारीख को ₹50 करोड़ या अधिक
आस्ति गुणवत्ता	जीएनपीए अनुपात 7 प्रतिशत से कम और एनएनपीए अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तारीख को एनएनपीए अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए
लाभप्रदता	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल लाभ और पिछले चार वित्तीय वर्षों में से कम-से-कम तीन में निवल लाभ	ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ
संचित हानि	बैंक को संचित हानि नहीं होनी चाहिए	-

स्रोत: आरबीआई।

निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन

III.15 रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2023 में वैश्विक मानकों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ सहबद्धता के अतिरिक्त घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेश के वर्गीकरण और परिचालन के मानदंडों को संशोधित किया। संशोधित ढांचा निवेश पोर्टफोलियो के सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण और उचित मूल्य लाभ और हानि के सममित उपचार का सूत्रपात करते हुए विनियामक दिशानिर्देशों को अद्यतन करता है। संशोधित दिशानिर्देश ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के अंतर्गत ट्रेडिंग बुक की पहचान करने हेतु मानदंड निर्दिष्ट करते हैं तथा एचएफटी के तहत धारिता अवधि पर 90 दिनों की सीमा तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी पर सीमा को हटाते हैं। बैंकों को एचटीएम के तहत अपने निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), एवं लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) (जिसमें एफवीटीपीएल की उप-श्रेणी के रूप में एचएफटी) में वर्गीकृत करने और तथा निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की आवश्यकता

होगी। एफवीटीपीएल श्रेणी में वे प्रतिभूतियां शामिल होंगी जो एचटीएम या एएफएस में शामिल किए जाने के योग्य नहीं हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तनीय लिखतें शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड, अधिमानी और इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड निवेश और इक्विटी किस्त का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूतिकरण नोट जैसी हानि-अवशोषकता विशेषताएं हैं। ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

III.16 आईआरआरबीबी ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली बैंकों की पूंजी और आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है। फरवरी 2023 में रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए, जिनके अनुसार बैंकों को आईआरआरबीबी के एक्सपोजर को मापने, निगरानी करने और प्रकट करने की आवश्यकता थी[2]। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों के आईआरआरबीबी एक्सपोजर की प्रकृति और स्तर को समझने की जिम्मेदारी बैंकों के बोर्ड की है, जिन्हें इस संबंध में व्यापक व्यावसायिक कार्यनीतियों के साथ-साथ समग्र नीतियों को अनुमोदित करना है, उचित सीमाएं निर्धारित करनी हैं और समग्र आईआरआरबीबी रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना है। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति, आकार और जटिलता और समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपने व्यापक जोखिम प्रबंधन और अभिशासन ढांचे के भाग के रूप में आईआरआरबीबी के लिए एक प्रभावी दबाव परीक्षण ढांचा विकसित और कार्यान्वित करें।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग)

III.17 विनियमित संस्थाएं (आरई) प्रायः अपनी आईटी गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करती हैं, जो उनके समक्ष महत्वपूर्ण वित्तीय, परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रस्तुत करते हैं। अप्रैल 2023 में, रिज़र्व बैंक ने आरई को मास्टर निदेश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आउटसोर्सिंग से संबंधित इस प्रकार के जोखिमों को पर्याप्त जांच और निगरानी के माध्यम से प्रबंधित किया जाए। निदेश, *अन्य बातों के साथ-साथ,* आउटसोर्सिंग की परिभाषा और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सांकेतिक सूची प्रदान करते हैं; इनमें उपयुक्त अभिशासन संरचनाओं और जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आउटसोर्सिंग के लिए आवश्यक सिद्धांत, मानक, नियंत्रण और प्रक्रियाएं; सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए समुचित सावधानी संबंधी आवश्यकताएं; आउटसोर्स गतिविधियों पर आरई को पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देने के प्रावधान; और कानूनी और विनियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार शामिल है।

3.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.18 स्केल-आधारित विनियामक (एसबीआर) ढांचे के तहत, मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल) में वर्गीकृत होने के लिए आस्ति का प्रारंभिक आकार ₹1,000 करोड़ निर्दिष्ट किया गया है। अक्तूबर 2022 में रिज़र्व बैंक ने परामर्श दिया कि यदि किसी समूह का समेकित आस्ति आकार ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक है, तो समूह में प्रत्येक एनबीएफसी को एनबीएफसी-एमएल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही उनका वैयक्तिक आस्ति आकार कुछ भी हो और फलस्वरूप, मध्य स्तर पर लागू होने वाले नियम इस पर लागू होंगे।

ऋण संकेंद्रण मानदंड - एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल)

III.19 एनबीएफसी-उच्च स्तर (एनबीएफसी-यूएल) के लिए वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ़) पर मौजूदा दिशानिर्देश, मूल प्रतिपक्षकार में एक्सपोजर को कतिपय ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के साथ समायोजित करने की अनुमति देते हैं। एनबीएफसी में विनियमों को सुसंगत बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 को घोषणा की कि मध्य स्तर (एमएल) और आधार स्तर (बीएल) में शामिल एनबीएफसी, पात्र ऋण जोखिम हस्तांतरण लिखतों के साथ अपने एक्सपोजर को समायोजित कर सकते हैं।

[2] कार्यान्वयन की तारीख अभी सूचित की जानी बाकी है।

अवसंरचना ऋण निधि - एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए विनियामक ढांचा

III.20 आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा अगस्त 2023 में की गई थी ताकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के वित्तपोषण में एक बड़ी भूमिका निभाने और एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों पर लागू विनियमों से अधिक सामंजस्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके (बॉक्स III.1)।

विदेशी क्षेत्राधिकारों और आईएफएससी में भारतीय बैंकों और एआईएफआई के परिचालन

III.21 रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2022 में विदेशी क्षेत्राधिकारों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में काम कर रहे भारतीय बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) की शाखाओं और सहायक कंपनियों को उन वित्तीय उत्पादों में सौदा करने की अनुमति दी, जो या तो अनुपलब्ध हैं या रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू बाजार में इसकी पूर्वानुमति के बिना अनुमत नहीं हैं।

बॉक्स III.1: आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

केंद्रीय बजट 2011-12 में अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा आईडीएफ की एक व्यापक संरचना जारी की गई थी। एक ट्रस्ट-आधारित आईडीएफ एक आईडीएफ-म्यूचुअल फंड (आईडीएफ-एमएफ) के रूप में पंजीकृत होती है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होती है, जबकि एक कंपनी-आधारित आईडीएफ, आईडीएफ-एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होती है और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। वर्तमान में, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को पूरा करने वाली एनबीएफसी की दो श्रेणियां हैं, यथा एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी) और आईडीएफ-एनबीएफसी। पहली श्रेणी फरवरी 2010 में बनाई गई थी और इसके लिए अपनी कुल आस्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विनियोजित करना आवश्यक है, जबकि दूसरी श्रेणी नवंबर 2011 में विस्तारित अवसंरचना पुनर्वित्त परियोजनाओं में नियोजित निम्न जोखिम वाली इकाईयों के रूप में बनाई गई थी।

आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे को अगस्त 2023 में संशोधित किया गया था ताकि उनकी निम्न जोखिम वाली प्रकृति को संरक्षित करते हुए उनके संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रवृत्त किया जा सके। संशोधित ढांचे के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

- पहले के दिशानिर्देशों के तहत, आईडीएफ-एनबीएफसी को बैंक या एनबीएफसी-आईएफसी द्वारा प्रायोजित किया जाना आवश्यक था; इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और आईडीएफ-एनबीएफसी के शेयरधारक अब अन्य एनबीएफसी पर लागू होने वाली जांच के अधीन हैं।
- टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं की परिचालनशील प्रकृति के कारण इनमें सर्वथा नए उद्यम (ग्रीन-फील्ड वेंचर्स) संबंधी निर्माण जोखिम शामिल नहीं हैं; आईडीएफ-एनबीएफसी की निम्न जोखिम प्रकृति को देखते हुए, इन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋणदाता बनने की अनुमति है।
- पूर्व में आईडीएफ-एनबीएफसी को केवल घरेलू और साथ ही बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के तहत बॉन्ड मार्ग के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति थी; संशोधित ढांचा उन्हें ईसीबी के तहत ऋण मार्ग के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति देता है, जो भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से प्राप्त ऋणों को छोड़कर, पांच साल की न्यूनतम अवधि के अधीन है।
- आईडीएफ-एनबीएफसी को पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश के लिए रियायतग्राही और परियोजना प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता करना होता था; इस आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है।
- आईडीएफ-एनबीएफसी की टियर 1 पूंजी आवश्यकता को 15 प्रतिशत की समग्र विनियामक पूंजी आवश्यकता के भीतर ही पहले के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे उनकी पूंजी आवश्यकताओं को एनबीएफसी-आईएफसी एवं एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) के साथ मध्य स्तर में संरेखित किया गया था।
- एसबीआर ढांचे के तहत, आईडीएफ-एनबीएफसी मध्य स्तर में होंगे, उनकी एक्सपोजर सीमा मध्य स्तर में एनबीएफसी-आईएफसी के लिए निर्धारित और एनबीएफसी-आईसीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर के अनुरूप होगी - एकल उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के एकल समूह के लिए टियर 1 पूंजी का क्रमशः 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत।

इन विनियामक उपायों से आईडीएफ-एनबीएफसी को पूंजी जुटाने, संसाधनों के वित्तपोषण और निधि विनियोजन के अवसरों में विविधता लाने में सक्षम बनाने की उम्मीद है। एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों पर लागू विनियमों के सामंजस्य के विनियामक उद्देश्य को प्राप्त करने के अलावा, विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने से आईडीएफ-एनबीएफसी संबंधी जोखिमों को और कम किया जा सकेगा।

एआईएफआई के लिए संशोधित विनियामक ढांचा

III.22 रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2023 को एआईएफआई के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया ताकि उनके विवेकपूर्ण विनियमों को सुदृढ़ और उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अधिक मजबूत बनाया जा सके और इसे बैंकों के साथ संरेखित किया जा सके[3]। संशोधित फ्रेमवर्क में बासेल-3 पूंजी विनियमन एआईएफआई पर लागू किए गए हैं जो वर्तमान में लागू बासेल-1 पूंजी विनियमनों की जगह लेंगे, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजी मानकों को बढ़ाना, बाह्य रेटिंग के आधार पर ऋण जोखिम के निर्धारण में सुधार करना, एलईएफ की अनुप्रयोज्यता तथा लीवरेज अनुपात ढांचे के अंतर्गत उनके तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर का कुशलतापूर्वक पता लगाना शामिल है। संशोधित दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचा

III.23 अप्रैल 2021 में, एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक बाह्य समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसाओं और हितधारकों से प्रतिक्रिया के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने (i) एआरसी द्वारा लेखा परीक्षा समितियों और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समितियों का गठन करके स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण सुनिश्चित करके कॉरपोरेट अभिशासन ढांचे को मजबूत करने; (ii) प्रकटीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि करके पारदर्शिता बढ़ाने; (iii) *अन्य बातों के साथ-साथ* न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता में वृद्धि करके विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ करने और (iv) उपयुक्त विनियामक सक्षमता द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका को सुगम बनाने के लिए 11 अक्तूबर 2022 को एआरसी के लिए निर्धारित विनियामक ढांचे की समीक्षा की।

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) की गतिविधियों का विविधीकरण

III.24 रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2022 को एसपीडी को बाजार निर्माताओं के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारियों (एडी-1) को वर्तमान में अनुमत सभी विदेशी मुद्रा बाजार निर्माण सुविधाओं की पेशकश करने की अनुमति दी। यह मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा ग्राहकों को बाजार निर्माताओं की व्यापक पहुँच प्रदान करेगा, और एक व्यापक बाजार उपस्थिति एसपीडी को उनकी मुख्य गतिविधियों का समर्थन करने की क्षमता में सुधार करेगी।

3.3 सहकारी बैंक

III.25 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, बड़े आकार के यूसीबी की वृद्धि महत्वाकांक्षाओं की *तुलना में* अधिक छोटे यूसीबी की पारस्परिकता और सहयोग की भावना को संतुलित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक चार-स्तरीय विनियामक ढांचा अपनाया गया था। निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता के लिए संबंधित ढांचा 31 मार्च 2023 से लागू हुआ[4]। इसके अतिरिक्त, पुनर्मूल्यन भंडार को टियर 1 पूंजी में शामिल करने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई थी। यूसीबी के पूंजी विन्यास और समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे वे अपने स्केल के आनुपातिक आधार पर जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में सक्षम हो सकें।

[3] नवंबर 2023 के अंत में, भारत में पांच एआईएफआई थे। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

[4] एक ही जिले में कार्यरत टियर 1 यूसीबी और अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) को क्रमशः ₹2 करोड़ और ₹5 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत बनाए रखनी चाहिए। टियर 1 यूसीबी को अब तक की तरह न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत बनाए रखना चाहिए, जबकि टियर 2 से 4 यूसीबी को 12 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना चाहिए। यूसीबी को न्यूनतम सीआरएआर और निवल मालियत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2028 तक लक्ष्य मार्ग (ग्लाइड पाथ) प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में यूसीबी का वर्गीकरण

III.26 यूसीबी को एफएसडब्ल्यूएम घोषित करने का मानदंड पहली बार 2010 में पेश किया गया था। रिज़र्व बैंक पिछले कुछ वर्षों से शहरी सहकारी बैंकों को परिचालन स्वायत्तता प्रदान करते हुए उनका परिष्करण (फाइन-ट्यूनिंग) कर रहा है। यूसीबी की एफएसडब्ल्यूएम स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों को 01 दिसंबर 2022 को संशोधित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और इकाई की लाभप्रदता पर जोर दिया गया था। यूसीबी बोर्ड को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों पर आकलित वित्तीय आंकड़ों और निष्कर्षों या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जो भी नवीनतम हो, के आधार पर एफएसडब्ल्यूएम के रूप में माने जाने के लिए अपनी पात्रता तय करने का अधिकार दिया गया था। यह प्रक्रिया पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन है। यूसीबी हर वर्ष अपने बोर्ड स्तर पर एफएसडब्ल्यूएम मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा कर सकते हैं।

यूसीबी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)

III.27 यूसीबी के लिए पीएसएल लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था। उनके समक्ष आने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों को कम करने की दृष्टि से, 08 जून 2023 को कमजोर वर्गों हेतु पीएसएल लक्ष्य और उप-लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध-समयावधि को दो वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया (सारणी III.3)।

सारणी III.3: यूसीबी के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण लक्ष्य और उप-लक्ष्य

वित्तीय वर्ष समाप्ति	कुल मिलाकर पीएसएल लक्ष्य (एएनबीसी या सीईओबीई के प्रतिशत के रूप में, जो भी अधिक हो) *	कमजोर वर्गों को अग्रिम हेतु उप-लक्ष्य (एएनबीसी या सीईओबीई के प्रतिशत के रूप में, जो भी अधिक हो) *
31 मार्च 2024	60	11.5
31 मार्च 2025	65	11.75
31 मार्च 2026	75	12

टिप्पणियाँ: 1. 31 मार्च 2023 के लक्ष्य (समग्र पीएसएल के लिए 60 प्रतिशत और कमजोर वर्गों के लिए 11.5 प्रतिशत) 31 मार्च 2024 तक जारी रहेंगे।
2. *: एएनबीसी, समायोजित निवल बैंक ऋण को संदर्भित करता है, जबकि सीईओबीई, तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर की समतुल्य ऋण राशि को संदर्भित करता है।

स्रोत: आरबीआई।

III.28 यूसीबी को अब 31 मार्च 2021 के बजाय 31 मार्च 2023 से पीएसएल लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों में कमी के बदले ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) या अन्य पात्र निधियों में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 और/या 2021-22 के दौरान की कमी के लिए, यूसीबी द्वारा किए गए योगदान का उपयोग 2022-23 के दौरान हुई कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और कमी को दूर करने के बाद अतिरिक्त जमाराशि, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी।

III.29 पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने हेतु यूसीबी को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 तक समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी और संशोधित अनुसूची के अनुसार इसे पूरा करना जारी रखने वाले यूसीबी के लिए, एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के तहत दिए जा सकने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को 6 अक्तूबर 2023 को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

III.30 रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2023 को यूसीबी की सभी श्रेणियों के लिए लागू 'मानक' आस्तियों के लिए प्रावधान मानदंडों को सुसंगत बनाया, भले ही वे संशोधित ढांचे में किसी भी स्तर के हों। कृषि एवं लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिमों पर 0.25 प्रतिशत की एक समान प्रावधान आवश्यकता लागू होगी, जबकि वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र, वाणिज्यिक स्थावर संपदा - रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) और 'अन्य सभी मानक अग्रिमों' के लिए प्रावधान की आवश्यकता क्रमशः 1 प्रतिशत, 0.75 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत होगी। टियर 1 में शामिल यूसीबी, जो 'अन्य सभी मानक अग्रिमों' पर 0.25 प्रतिशत प्रावधानों को बनाए रख रहे थे, उन्हें 31 मार्च 2025 तक क्रमबद्ध तरीके से 0.40 प्रतिशत की आवश्यकता को प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को सीआरई-आरएच क्षेत्र को ऋण देने की अनुमति

III.31 आरसीबी अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को अब तक सीआरई को वित्तपोषित करने की अनुमति नहीं थी।

किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में उनकी क्षमता को साकार करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2022 को आरसीबी को अपनी कुल आस्तियों के पांच प्रतिशत की मौजूदा समग्र आवास वित्त सीमा के भीतर सीआरई-आरएच क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी। आरसीबी को सीआरई-आरएच क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवश्यकता है। बोर्ड द्वारा सीआरई-आरएच पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की समीक्षा कम-से-कम छमाही आधार पर की जानी चाहिए।

वैयक्तिक आवास ऋण - यूसीबी और आरसीबी के लिए सीमा में वृद्धि

III.32 आवासीय कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और ग्राहकों की जरूरतों पर विचार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 08 जून 2022 को आरसीबी और यूसीबी के लिए वैयक्तिक आवास ऋण की सीमा बढ़ा दी। ₹100 करोड़ से कम मूल्यांकित निवल मालियत वाले आरसीबी के लिए सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी गई, जबकि अन्य आरसीबी के लिए इसे ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख कर दिया गया। टियर -1 यूसीबी के लिए सीमा को ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹60 लाख और टियर -2 यूसीबी के लिए इसे ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹140 लाख किया गया था। संशोधित विनियामक ढांचे में यूसीबी के चार स्तरीय वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, यूसीबी द्वारा एकल उधारकर्ताओं के लिए स्वीकृत आवास ऋण की सीमा को 30 दिसंबर 2022 से प्रभावी रूप से टियर 1 यूसीबी के लिए ₹60 लाख और टियर 2 से 4 में वर्गीकृत यूसीबी के लिए ₹140 लाख के रूप में पुनर्निर्दिष्ट किया गया था।

आरसीबी के लिए शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन और विनियमन

III.33 बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के आलोक में, अप्रैल 2022 में एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए पूंजीगत निधि के निर्गमन और विनियमन पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई। नए दिशानिर्देश आरसीबी को अधिमानी शेयर जारी करने, सभी विनियामकीय पूंजी लिखतों के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि 10 वर्ष तय करने और उन्हें अपने सदस्यों (या नामितियों) को शेयर पूंजी वापस करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक बना रहे।

4. हरित पहलें

III.34 चूंकि जलवायु परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में माना जा रहा है, रिज़र्व बैंक हरित गतिविधियों और परियोजनाओं हेतु हरित संसाधन जुटाने के लिए बैंकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हरित जमाराशियों की स्वीकृति

III.35 रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2023 को हरित जमाराशियों की स्वीकृति के लिए एक ढांचा जारी किया ताकि विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों को हरित जमाराशियों की पेशकश करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, ग्रीनवाशिंग जोखिमों का समाधान करने और हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पात्र विनियमित संस्थाओं [5] को हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों को (i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र; (ii) ऊर्जा दक्षता; (iii) स्वच्छ परिवहन; (iv) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; (v) धारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन; (vi) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण; (vii) हरित भवन; (viii) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का धारणीय प्रबंधन; या (ix) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण में आबंटित करना होगा। हरित जमाराशियों के माध्यम से जुटाई गई निधियों का आबंटन भी वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन/ आश्वासन के अधीन होगा। तथापि, यह विनियमित संस्थाओं को निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा, जिसके लिए आंतरिक नियंत्रण और संतुलन का पालन करना होगा।

[5] यह फ्रेमवर्क सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है, जिसमें लघु वित्त बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) तथा आवास वित्त कंपनियों सहित जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं।

राष्ट्रिक हरित बॉन्ड

III.36 2022-23 के दौरान, 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 को ₹8,000-8,000 करोड़ की दो किस्तों में राष्ट्रिक हरित बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी किए गए थे। इनमें प्रत्येक किस्त में ₹4,000 करोड़ के 5 वर्षीय और 10 वर्षीय बॉन्ड शामिल थे। 2023-24 के दौरान प्रत्येक किस्त में ₹5,000 करोड़ के पांच वर्षीय और 10 वर्षीय एसजीआरबी क्रमश: 10 नवंबर 2023 और 8 दिसंबर 2023 को जारी किए गए। 30 वर्षीय एसजीआरबी (प्रत्येक ₹5,000 करोड़ की दो किस्त) की नीलामी जनवरी-फरवरी 2024 में की जाएगी। 2022-23 और 2023-24 के दौरान जारी किए गए एसजीआरबी को क्रमशः 23 जनवरी 2023 और 08 नवंबर 2023 को पूर्णतया सुगम्य मार्ग (एफएआर) के तहत 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में अधिसूचित किया गया था, और अनिवासियों को बिना किसी प्रतिबंध के इन प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी।

5. प्रौद्योगिकीय नवाचार

III.37 गतिशील रूप से बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखने हेतु रिज़र्व बैंक ने फिनटेक क्षेत्र में नवाचारों को सुगम बनाने के लिए सचेत प्रयासों को जारी रखा।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का डिजिटलीकरण

III.38 ऋण प्रसंस्करण के लिए प्रतिवर्तन समय को दो-तीन सप्ताह से कम करके कुछ मिनट करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 में रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) के साथ मिलकर केसीसी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण की संकल्पना की, ताकि बैंक शाखाओं में बार-बार जाने की आवश्यकता को समाप्त करके परिचालन व्यय और अवसर लागत को नियंत्रित किया जा सके। डिजिटल केसीसी का एक पायलट मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया और बाद में इसे अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी किया गया। डिजिटलीकरण को गुजरात में डेयरी उद्यमियों तक भी विस्तारित किया गया, जहां वित्त की मात्रा दुग्ध सहकारी/ समितियों से प्राप्त दूध डालने के आंकड़ों के आधार पर तुरंत तय की जाती है।

निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच

III.39 केसीसी और डेयरी प्रायोगिक परियोजनाओं से मिली सीख के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने आरबीआईएच के साथ मिलकर 17 अगस्त 2023 को डिजिटल सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच के एक पायलट का सूत्रपात किया। ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और प्लेटफॉर्म में एम्बेडेड मानक, आधार इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी), शामिल राज्य सरकारों के भूमि अभिलेख, दूध डालने का डेटा, बैंक खाता सत्यापन, संपत्ति खोज डेटा, उपग्रह डेटा, स्थायी खाता संख्या (पैन) सत्यापन और खाता समूहीकरण जैसी सेवाओं के साथ सहबद्धता को सक्षम बनाते हैं। इससे लागत को कम करके और त्वरित संवितरण और मापनीयता की सहायता से ऋण प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है। प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख तक के केसीसी ऋण और डेयरी ऋण के अलावा, यह मंच सहभागी बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण (संपार्श्विक के बिना), वैयक्तिक ऋण और आवास ऋण पर ध्यान केंद्रित करता है। हितधारकों से प्राप्त जानकारी और प्रतिक्रिया के आधार पर मंच के दायरे और कवरेज का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक उत्पादों, डेटा/ सेवा प्रदाताओं और उधारदाताओं को शामिल किया जा सके।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का परिचालनीकरण

III.40 ई₹ भारतीय रुपए का टोकन संस्करण है। रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान हेतु चुनिंदा बैंकों की सहभागिता के साथ 1 नवंबर 2022 को थोक क्षेत्र (ई₹-डब्ल्यू) के लिए पायलट शुरू किया। इससे निपटान गारंटी अवसंरचना या निपटान जोखिम को कम करने हेतु संपार्श्विक की आवश्यकता से राहत प्रदान करके लेनदेन लागत कम होने की उम्मीद है। अंतर-बैंक ऋण और उधार लेनदेनों को शामिल करने के लिए, ई₹-डब्ल्यू के दायरे को बाद में बढ़ाया गया।

III.41 खुदरा क्षेत्र (ई₹-आर) के लिए पायलट 01 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था, जिसमें सहभागिता करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों सहित एक सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) में चुनिंदा स्थानों को शामिल किया गया था। उपयोगकर्ता सहभागिता करने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन में संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई₹-आर के साथ व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी 2 एम) लेनदेन, दोनों कर सकते हैं। यह विश्वास, सुरक्षा और निपटान समापन प्रदान करता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसे मुद्रा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। पायलट की शुरुआत चार बैंकों और चार शहरों से हुई थी और वर्तमान में तेरह बैंकों के माध्यम से परिचालनशील है। देश भर में अधिक बैंकों और स्थानों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। पायलट से मिली सीख के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने लगभग सार्वभौमिक यूपीआई स्वीकृति बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और सीबीडीसी को अंतरपरिचालनीय बना दिया। पायलटों के दायरे को विभिन्न उपयोग मामलों, डिजाइनों और प्रौद्योगिकीय विमर्श को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

डिजिटल ऋण

III.42 डिजिटल ऋण पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीएल) की अनुशंसाओं पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2022 को एक विनियामक ढांचा जारी किया। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऋण कारोबार या तो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयों द्वारा किया जा सकता है या ऐसी इकाइयों द्वारा जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है। विस्तृत दिशानिर्देश 2 सितंबर 2022 को जारी किए गए थे और इनका ध्यान विभिन्न ऋण गतिविधियों में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) की अनियंत्रित संलिप्तता, कपट-विक्रय (मिससेलिंग), डेटा गोपनीयता के उल्लंघन, ग्राहक शिकायत निवारण, अनुचित व्यापार आचरण और अनैतिक वसूली प्रथाओं से उत्पन्न चिंताओं का समाधान करने पर था। ये दिशानिर्देश उधारकर्ताओं के प्रति कई प्रारंभिक प्रकटीकरण अनिवार्य करके ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाते हुए, डिजिटल ऋण पद्धतियों के माध्यम से ऋण वितरण के व्यवस्थित विकास में सहायक हैं।

डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी)

III.43 डीएलजी व्यवस्था में एक विनियमित संस्था और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के भीतर कार्य कर रहे एलएसपी के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था शामिल होती है, जिसके तहत एलएसपी विनियमित संस्था को उसके ऋण पोर्टफोलियो के एक निश्चित प्रतिशत तक चूक के कारण हुए प्रारंभिक निर्दिष्ट नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देता है। विवेक और नवाचार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 08 जून 2023 को उपयुक्त विनियामक कवच के साथ डीएलजी व्यवस्था की अनुमति दी। विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डीएलजी कवर की कुल राशि ऋण पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, और केवल नकद, सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में ही पेश की जाती हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट मूल्यांकन मानक कमजोर न हों, विनियमित संस्था की जिम्मेदारी है कि वह गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की पहचान करे और परिणामस्वरूप उनके लिए प्रावधान करे। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एलएसपी की वेबसाइट पर डीएलजी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

6. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा नीतियां

लाइबोर संक्रमण

III.44 लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और 30 जून 2023 के बाद इसके प्रकाशन की समाप्ति के आलोक में रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2023 से ही विनियमित संस्थाओं को पूरी तरह से अन्य बेंचमार्क में जाने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बना रहा था। रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2023 को विनियमित संस्थाओं को सूचित किया कि वे (i) यह सुनिश्चित करें कि उनके या उनके ग्राहकों द्वारा किया गया कोई भी नया लेनदेन यूएसडी लाइबोर या उससे जुड़े घरेलू बेंचमार्क, मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (एमआईएफओआर) पर निर्भर न हो; और (ii) यह सुनिश्चित करें कि उन सभी शेष परंपरागत वित्तीय संविदाओं में गिरावट को यथाशीघ्र शामिल किया जाए जो यूएसडी लाइबोर या एमआईएफओआर से संदर्भ लेते हैं। तदनुसार संशोधित एमआईएफओआर (एमएमआईएफओआर) को शामिल करने और एमआईएफओआर को हटाने के लिए 'महत्वपूर्ण बेंचमार्कों' की सूची को अद्यतन किया गया।

गैर-सुपुर्दगी योग्य डेरिवेटिव संविदाएं (एनडीडीसी)

III.45 तटवर्ती भारतीय रुपया एनडीडीसी बाजार को विकसित करने और निवासियों को अपने हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिजाइन करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए 6 जून 2023 को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) वाले बैंकों को तटवर्ती बाजार में निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी। इन बैंकों को अनिवासियों के साथ और एक-दूसरे के साथ विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए में अपने एनडीडीसी लेनदेन के निपटान की सुविधा प्रदान की गई थी, जबकि निवासियों के साथ लेनदेन अनिवार्य रूप से भारतीय रुपए में निपटाया जाने थे।

मांग मुद्रा और सूचना पर देय राशि बाजार में सीमाएं

III.46 रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को एससीबी (लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग मुद्रा और सूचना पर देय राशि बाजार में उधार लेने के लिए अपनी आंतरिक बोर्ड-अनुमोदित सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी ताकि उन्हें अपने मुद्रा बाजार उधारों के प्रबंधन के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। इससे पहले, मांग मुद्रा और सूचना पर देय राशि बाजार में एससीबी द्वारा उधार विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन थे।

7. ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

III.47 भारत में वित्तीय समावेशन के लिए दृष्टिकोण राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24 द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अनुरूप, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन परिदृश्य को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी के लिए नई ब्याज सहायता योजना

III.48 भारत सरकार ने जुलाई 2022 में *दीनदयाल अंत्योदय योजना* - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक नई ब्याज सहायता योजना शुरू की (सारणी III.4)।

सारणी III.4: महिला एसएचजी के लिए ब्याज सहायता योजना

ऋण राशि	ब्याज दर	ब्याज सहायता
₹3 लाख तक	7 प्रतिशत	4.5 प्रतिशत
₹3 लाख से ₹5 लाख	निधि-आधारित उधार दर की एक-वर्षीय सीमांत लागत, कोई अन्य बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर या 10 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो भी कम हो	5 प्रतिशत

स्रोत: आरबीआई।

III.49 डीएवाई-एनआरएलएम प्रोटोकॉल का पालन करने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित महिला एसएचजी भी सहायता योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा चयनित एक नोडल बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी को दिए गए ऋणों और बकाया राशि की संख्या में क्रमशः 12.0 प्रतिशत और 30.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.1)।

अल्पकालिक केसीसी ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना

III.50 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना

चार्ट III.1: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी

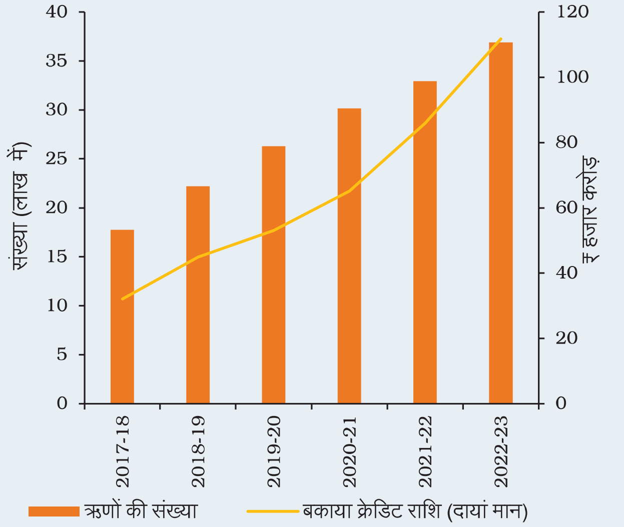

स्रोत: आरबीआई।

को 28 अप्रैल 2022 को 2021-22 के लिए और 23 नवंबर 2022 को 2022-23 और 2023-24 के लिए कुछ संशोधनों के साथ बढ़ाया गया था (सारणी III.5)। यह योजना, जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) (उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में) को कवर करती थी, एसएफबी और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस), जिन्हें अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर एससीबी के साथ मिला दिया गया है, तक विस्तारित कर दी गई। इस प्रकार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए रियायती ऋण का लाभ उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह को उपलब्ध कराया गया।

उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक रूप देना

III.51 एमएसएमई को परिभाषित करने के नए मानदंडों के अनुसार, सभी ऋणदाताओं को सूचित किया गया था कि वे उद्यमियों से *उद्यम* पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) प्राप्त करें। तथापि, कई उद्यमों को पैन/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दस्तावेजों की अनिवार्यता के कारण पोर्टल पर पंजीकरण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे एमएसएमई खातों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई। एमएसएमई मंत्रालय ने आईएमई के लिए औपचारिकता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, तथा उनके पंजीकरण में सहायता करने और *उद्यम* पंजीकरण संख्या (यूआरएन) और *उद्यम* सहायता प्रमाण पत्र (यूएसी) जारी करने के लिए *उद्यम* सहायता पोर्टल (यूएपी) शुरू किया। 9 मई 2023 को रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना जारी की कि यूएसी को यूआरसी के बराबर माना जाएगा, और ऐसे आईएमई, जिनके पास यूएसी है, को पीएसएल वर्गीकरण के उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा।

सारणी III.5: अल्पावधि केसीसी ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना

(प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष	किसानों के लिए उधार दर	उधारदात्री संस्थाओं के लिए ब्याज सहायता दर	किसानों के लिए शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन
2021-22	7	2	3
2022-23	7	1.5	3
2023-24	7	1.5	3

स्रोत: आरबीआई।

8. उपभोक्ता संरक्षण

III.52 रिज़र्व बैंक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय कर रहा है *जैसे* कि विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) तथा दक्षता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) ढांचा[6]। इसके अतिरिक्त, अभिनव तरीकों का उपयोग करके सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए देश भर में 2022-23 के दौरान ओम्बड्समैन स्पीक, टॉकाथॉन और राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम जैसे ग्राहक जागरूकता केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति

III.53 हाल ही के वर्षों में, भारतीय वित्तीय परिदृश्य में बढ़ते ग्राहक आधार और सेवा प्रदाताओं की संख्या, नई तकनीक और डिजिटल उत्पादों के आगमन और भुगतान प्रणालियों में नवाचारों से होने वाले डिजिटल लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के मामले में तीव्र परिवर्तन देखा गया है। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2022 को "आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति" गठित की। समिति ने 24 अप्रैल 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (बॉक्स III.2)।

[6] रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि वह विनियमित संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों में आंतरिक लोकपाल (आईओ) ढांचे पर दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने हेतु एक समेकित मास्टर निदेश जारी करेगा।

बॉक्स III.2: ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा

ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन श्री बी.पी. कानूनगो की अध्यक्षता में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और समीक्षा करने, उभरती आवश्यकताओं का पता लगाने, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों पर सुझाव देने के लिए किया गया था।

समिति ने जुलाई 2022 में विनियमित संस्थाओं के 5,016 ग्राहकों का एक सर्वेक्षण किया ताकि उन्हें दी जाने वाली सेवाओं में कमियों की पहचान की जा सके (चार्ट III.2.1)। शाखाओं में बेहतर ग्राहक सेवा में बाधक मुद्दों की पहचान करने के लिए विनियमित संस्थाओं के 861 कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण भी किया गया था (चार्ट III.2.2)।

समिति द्वारा की गई प्रमुख अनुशंसाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय रिज़र्व द्वारा विनियमन को मजबूत करना

- ग्राहक सेवा/ सुरक्षा के मानकों और गुणवत्ता को दर्ज करने के लिए एकल स्कोर में एक प्रणाली-स्तरीय सूचकांक विकसित करना और प्रकाशित करना।
- प्राप्त शिकायतों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल (आरबीआईओ) को विनियमित संस्थाओं को निदेश जारी करने का अधिकार देना।

विनियमित संस्थाओं द्वारा विनियामक अनुपालन बढ़ाना

- ग्राहक सेवा में उद्यम-व्यापी सुधार के उद्देश्य से प्रोत्साहन और निरुत्साहन (दंडात्मक कार्रवाई) की एक उपयुक्त संरचना स्थापित करना।
- हितों के टकराव को दूर करने के लिए विनियमित संस्थाओं में नियुक्त आंतरिक लोकपाल को सीधे मुआवजे के लिए एक कोष बनाना।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

- विनियमित संस्थाएं ग्राहकों के लाभ हेतु अपने इंटरफेस को एकीकृत और ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए प्रासंगिक डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठा सकती हैं।
- वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का दुरुपयोग रोकने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा द्वितीय कारक प्रमाणीकरण तंत्र के सुरक्षित तरीके डिजाइन करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) इंटरफेस का मानकीकरण करना और सभी एटीएम के लिए कार्यात्मकताओं का न्यूनतम सेट सुनिश्चित करना।

विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा में सुधार

- दिवंगत खाताधारकों के मामलों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावों का झंझट-रहित और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना ताकि नामितियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।
- विनियमित संस्थाओं के सभी ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना जो ग्राहक सूचना फ़ाइलों से जुड़ा हो ताकि प्रत्येक नई सुविधा के लिए बार-बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से बचा जा सके।
- उधारकर्ताओं को संपत्ति के दस्तावेजों की समय पर वापसी सुनिश्चित करना और देरी/ नुकसान के लिए उपयुक्त मुआवजा देना।

चार्ट III.2.1: चिंताजनक क्षेत्र: ग्राहक सर्वेक्षण

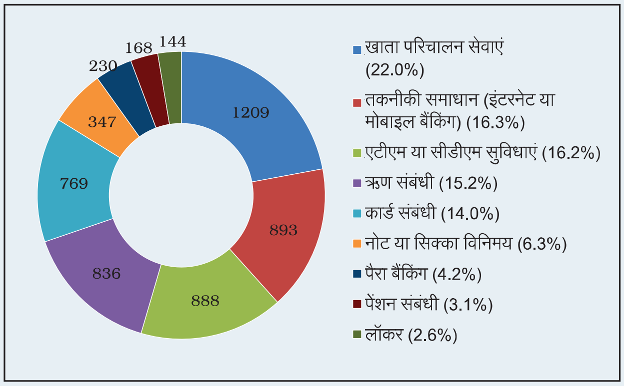

टिप्पणी: संभव है कि कुल योग 5,016 न हो क्योंकि एक से अधिक विकल्पों की अनुमति दी गई थी।

चार्ट III.2.2: बेहतर ग्राहक सेवा में बाधक मुद्दे

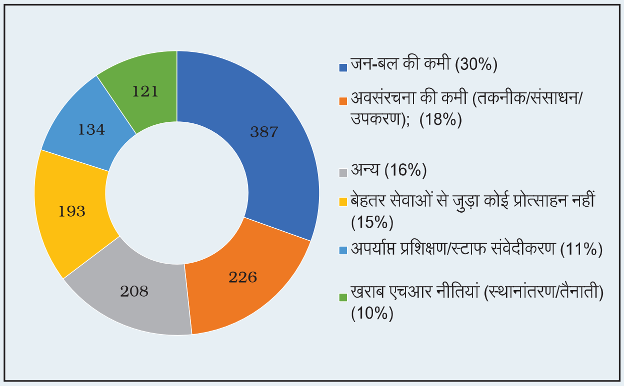

टिप्पणी: संभव है कि कुल योग 861 न हो क्योंकि एक से अधिक विकल्पों की अनुमति दी गई थी।

9. भुगतान और निपटान प्रणालियां

III.54 हाल ही के वर्षों में, भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली पारितंत्र न केवल अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए बल्कि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए भी एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में उभरा है। अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और सहायक नीतिगत पहलों ने कायापलट कर दिया है और नकदी-आधारित लेनदेन से हट कर एक बदलाव को जन्म दिया है। रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) में प्रगति इस बात का प्रमाण है (चार्ट III.2)।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

III.55 बीबीपीएस, जो बिल भुगतान के लिए एक अंतर परिचालनीय प्लेटफॉर्म है, के लेनदेनों की मात्रा और ऑनबोर्ड बिलर की संख्या, दोनों में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) की भागीदारी बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2022 को उनके प्रमाणीकरण के लिए निवल मालियत की आवश्यकता को ₹100 करोड़ से घटाकर ₹25 करोड़ कर दिया।

चार्ट III.2: आरबीआई - डिजिटल भुगतान सूचकांक

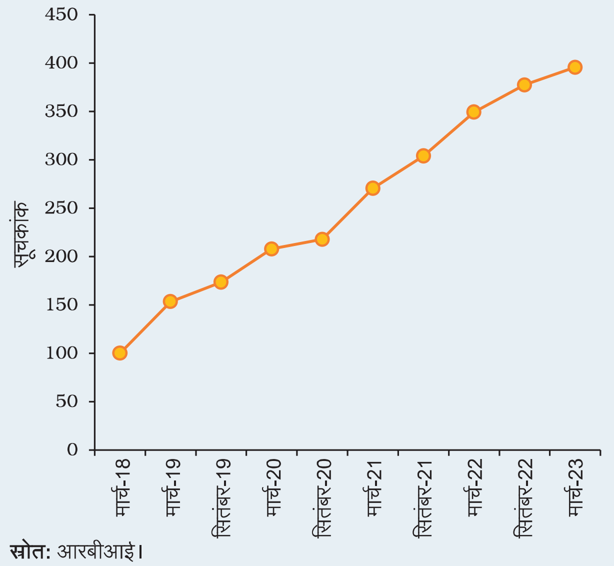

स्रोत: आरबीआई।

III.56 सितंबर 2022 से, बीबीपीएस को रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए)[7] के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण का प्रसंस्करण करने में सक्षम बनाया गया है। इस तरह के भुगतान अब बिलर (लाभार्थी) के केवाईसी अनुपालित बैंक खाते में अंतरित किए जा सकते हैं। दिसंबर 2022 में, बीबीपीएस के दायरे को आगे बढ़ाकर सभी श्रेणियों के भुगतान और संग्रह, आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों को शामिल किया गया, ताकि अधिकाधिक बिलर को बीबीपीएस पर शामिल किया जा सके।

वास्तविक कार्ड डेटा का भंडारण और टोकनीकरण

III.57 24 जून 2022 को रिज़र्व बैंक ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) डेटा संग्रहीत करने की समय सीमा तीन महीने, अर्थात 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी। ऐसा डिजिटल भुगतान पारितंत्र में वास्तविक कार्ड डेटा के भंडारण से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए किया गया था। 1 अक्तूबर 2022 से, कार्ड जारीकर्ता या कार्ड नेटवर्क के अलावा भुगतान शृंखला में किसी भी इकाई को सीओएफ डेटा का भंडारण करने की अनुमति नहीं है। पहले से संग्रहीत किसी भी ऐसे डेटा को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे लेनदेन जिनमें कार्डधारक मैन्युअल रूप से (आमतौर पर इन्हें 'गेस्ट चेकआउट लेनदेन' के रूप में जाना जाता है) कार्ड विवरण दर्ज करते हैं, ऐसे लेनदेन में शामिल व्यापारी या उसके भुगतान समूहक (पीए) को अधिकतम टी + 4 दिनों ('टी' लेनदेन की तारीख है) की अवधि के लिए या निपटान तारीख तक, जो भी पहले हो, सीओएफ डेटा को सहेजने की अनुमति 28 जुलाई 2022 को दे दी गई। दिशानिर्देशों के अनुसार, इन आंकड़ों का उपयोग केवल ऐसे लेनदेन के निपटान के लिए किया जाएगा और उसके बाद इसे हटा दिया जाना चाहिए। अधिग्राहक बैंकों को लेनदेन के बाद की अन्य गतिविधियों को संभालने के लिए 31 जनवरी 2024 तक गेस्ट चेक-आउट

[7] आरडीए समुद्रपारीय क्षेत्राधिकारों से सीमापार विप्रेषण प्राप्त करने के लिए एक चैनल है, जिसमें प्राधिकृत श्रेणी-I बैंक अपने वोस्ट्रो खाते को खोलने और बनाए रखने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का अनुपालन करने वाले देशों में अनिवासी विनिमय गृहों के साथ गठबंधन करते हैं।

लेनदेन डेटा स्टोर का भंडारण जारी रखने की अनुमति दी गई है। पहले से भंडारित सभी सीओएफ डेटा को लेनदेन के 180 दिनों बाद समाप्त कर देना चाहिए।

III.58 अब तक, 64 करोड़ से अधिक टोकन बनाए गए हैं, जिन पर ₹6 लाख करोड़ से अधिक के लेनदेन किए गए हैं। टोकनीकरण ने लेनदेन सुरक्षा और लेनदेन अनुमोदन दरों में सुधार किया है। इससे पहले, सीओएफ टोकन केवल व्यापारियों के एप्लिकेशन या वेबपेज के माध्यम से बनाए जा सकते थे। अक्तूबर 2023 में, रिज़र्व बैंक ने कार्डधारकों के लिए सुविधा बढ़ाने हेतु सीधे जारीकर्ता बैंक स्तर पर सीओएफ टोकन बनाने की सुविधाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया।

व्यापार प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) के दायरे का विस्तार

III.59 ट्रेड्स के संबंध में दिशानिर्देश दिसंबर 2014 में जारी किए गए थे ताकि एमएसएमई को अपनी व्यापार प्राप्तियों को चल निधियों में परिवर्तित करने में मदद मिल सके। यह मानते हुए कि वित्त-दाता आमतौर पर कम रेटिंग वाले खरीदारों की देय राशियों के लिए बोली लगाने के इच्छुक नहीं होते हैं, रिज़र्व बैंक ने जून 2023 में ट्रेड्स लेनदेन के लिए बीमा सुविधा की अनुमति दी। एमएसएमई विक्रेताओं, खरीदारों और वित्त-दाताओं से मिलकर बने पारितंत्र में बीमा कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति देने से वित्त-दाताओं को चूक जोखिम की हेजिंग करने में मदद मिलेगी। रिज़र्व बैंक ने वित्त-दाताओं के पूल का विस्तार करने और फैक्टरिंग इकाइयों के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम करने के लिए भी उपाय किए हैं।

भारत में आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई का विस्तार

III.60 कुछ समय पहले तक भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अपनी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी या विदेशी मुद्रा भुगतान लिखतों, जिसके लिए बिक्री बिंदु (पीओएस) टर्मिनलों की उपलब्धता आवश्यक थी, पर निर्भर रहना पड़ता था। यह मानते हुए कि यूपीआई क्यूआर कोड का भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2023 को उन्हें भारत में रहते हुए यूपीआई का उपयोग करके स्थानीय भुगतान करने की अनुमति दी। इस सुविधा में वॉलेट के रूप में पूर्व भुगतान लिखतें (पीपीआई) जारी करनी होती हैं जिसे यूपीआई से जोड़ा जा सकता है और विदेशी मुद्रा को परिवर्तित करके भारतीय रुपए में लोड किया जा सकता है। शुरुआत में, यह सुविधा चुनिंदा हवाई अड्डों पर जी-20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराई गई और इसे आने वाले समय में अन्य प्रवेश बिंदुओं और अन्य देशों के आगंतुकों तक विस्तारित किया जाएगा।

यूपीआई में सुधार

III.61 रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2022 को बैंकों, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। एटीएम नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन के निपटान के साथ ऐसे लेनदेन में ग्राहक प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई के उपयोग की अनुमति दी गई है। जून 2022 में रिज़र्व बैंक ने यूपीआई नेटवर्क से क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार किया, जिसमें प्रारंभिक सुविधा रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए दी गई है। रिज़र्व बैंक ने 3 सितंबर 2023 को वैयक्तिक ग्राहक की पूर्व सहमति के साथ पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं से यूपीआई लेनदेनों को सक्षम बनाया।

भुगतान समूहक का विनियमन – सीमापार (पीए - सीमापार)

III.62 रिज़र्व बैंक ने 31 अक्तूबर 2023 को पीए - सीमापार के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य ऑनलाइन निर्यात-आयात सुविधा प्रदाताओं (ओईआईएफ), ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित संग्रहण एजेंट व्यवस्थाओं सहित सभी संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाना है, जो वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार भुगतान लेनदेन के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा प्रदान करती हैं।

भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण

III.63 रिज़र्व बैंक विभिन्न देशों के सहयोग से यूपीआई और रुपे कार्ड के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। फरवरी 2023 में, रिज़र्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपनी संबंधित त्वरित

भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) यथा यूपीआई और पेनाउ के लिंकेज को चालू किया। इस सहबद्धता ने दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत वाला सीमापार समकक्षीय (पी 2 पी) भुगतान करने में सक्षम बनाया। जुलाई 2023 में, रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूएई) ने यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी) के साथ जोड़ने; और उनके संबंधित कार्ड स्विच (रुपे स्विच और यूएईस्विच) को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में सक्षम कर दी गई है। इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक व्यापारियों के स्थानों पर भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ सह-ब्रांडिंग किए बिना रुपे कार्ड स्वीकार करने के लिए भूटान, नेपाल, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यवस्था की गई है। अन्य देशों में रुपे कार्ड जारी करने का भी परीक्षण किया जा रहा है।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का विस्तार

III.64 पीआईडीएफ योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में तीन साल के लिए परिचालित किया गया था ताकि टियर 3 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के विनियोजन को प्रोत्साहित किया जा सके। अक्तूबर 2023 में, रिज़र्व बैंक ने पीआईडीएफ योजना को दो साल, अर्थात 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया। जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, पीएम *विश्वकर्मा* योजना के लाभार्थियों को भी पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया गया।

10. समग्र मूल्यांकन

III.65 2022-23 और 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कारोबार सुगमता में सुधार हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया। डिजिटल वित्त अवसंरचना में की गई प्रगति ने वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करते हुए वित्त को अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बना दिया है। अत्यधिक अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल में, विनियमित संस्थाओं को प्रारंभिक दबाव की पहचान करने और उसे कम करने, सुदृढ़ता और जन विश्वास बनाए रखने और देश की विकास आकांक्षाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली में दक्षता बढ़ाते हुए वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।